



शिक्षक नियोजन वर्ष-2019
कार्यालय आदेश

विभागीय अधिसूचना सं०-482, दिनांक-08.06.2020, एवं अधिसूचना सं०-819, दिनांक-11.06.2020 के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन-2019-20 में, शिक्षा विभाग बिहार, पटना, एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No-6767/2020 (नीरज कुमार एवं अन्य वनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक-01.07.2020 एवं C.W.J.C No-6670/2020 (हरे राम कुमार एवं अन्य वनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक-03.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में उप सचिव, शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक-7/विविध-25/2019.....629 पटना दिनांक-08.07.2020 के आलोक में निर्धारित समय तालिका के अनुरूप 'N.I.O.S' द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के D.El.Ed एवं टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मात्र से दिनांक-14.07.2020 तक आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विभाग से निदेश प्राप्त है।

शिक्षा विभाग के निदेश के अनुपालन में इस कार्य में संबंधित शिक्षक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर अचूक रूप से निर्धारित दिनांक-14.07.2020 तक आवेदन प्राप्त कर समय सीमा के अंदर आवेदन को प्रविष्टी करने का आदेश दिया जाता है। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर उसके लिए संबंधित को पूर्ण रूप से दोषी माना जाएगा। तदपरान्त कड़ी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

नगर सचिव-सह-प्राधिकृत पदाधिकारी
पटना नगर निगम।

As
09/07/2020

- प्रतिलिपि:-
1. संबंधित शिक्षक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, शिक्षक नियोजन, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को सादर सूचनार्थ समर्पित।

नगर सचिव -सह-प्राधिकृत पदाधिकारी
पटना नगर निगम।

As
09/07/2020